

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-294001;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020 -21/2552
निमित्त,

दिनांक : 26.4.2022

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ 5 ()वसु/मुवसं/2022-23/3173 दिनांक 18.4.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020 के प्रस्ताव में प्रासंगिक पत्र द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं हुई है।	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।
2	प्रकरण में DFL का एसटीमेट नहीं दिया गया है। साईट स्पेशिफिक प्राक्कलन तैयार कर अपलोड करें।	प्रकरण में DFL का एसटीमेट साईट स्पेशिफिक प्राक्कलन तैयार कर अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रकरण में 13.08 हैक्टेयर का DFL लिया जाना है। आप द्वारा 76.80 हैक्टेयर भूमि DFL हेतु प्रस्तावित की गई है एवं यूजर एजेंसी से 65 हैक्टेयर DFL हेतु राशि चार्ज की गई है। नियमानुसार 13.08 हैक्टेयर क्षेत्र ही DFL हेतु लिया जाना था, इतना अधिक क्षेत्र DFL में क्यों लिया गया है? कारण स्पष्ट करें।	भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रत्यावर्तन होने वाले प्रस्तावों हेतु पत्र क्रमांक F. No. 5-2/2017-FC Dated: 28 th March,2019 द्वारा जारी HAND BOOK GUIDELINES के PART B, का अध्याय 2 COMPENSATORY AFFORESTATION के अनुसार CA हेतु 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में नॉर्मर्स अनुसार 13.08 हैक्टेयर में DFL करवाया जाना है तथा 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर अनुसार कुल 13080 पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है। किन्तु प्रस्तावित DFL साईट पर तकनीकी रूप से 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाना संभव नहीं होने से 13080 पौधे लगाया जाने हेतु मौके की स्थिति अनुसार 200 पौधे प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 65.40 हैक्टेयर क्षेत्र DFL हेतु प्रस्तावित किया गया है। वितृत तकमिना संलग्न कर दिया गया है।
4	मेडीसन प्लांट का एसटीमेट प्रस्तुत करें।	साईट स्पेशिफिक प्राक्कलन तैयार कर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न :- मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में

भवदीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020 -21/2553

दिनांक : 26.4.2022

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता, (प व स)अ.वि.वि.नि. लि., बेगू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़